



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखवावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: २३७०

दिनांक: 25.02.2019

प्राचार्य,

समस्त बी.एड., बीएबीएड-बीएससीबीएड चार वर्षीय इंटिग्रेटेड व एम.एड. महाविद्यालय,
जिला-झुंझुनू एवं सीकर।

विषय: सत्र 2018-19 की सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के एसबी सिविल रिट नं. 13221 / 2018 दिनांक 02.07.2018 एवं एसबी सिविल रिट नं. 13754 / 2018 दिनांक 04.07.2018 के अन्तर्गत जारी आदेशों के क्रम में आपके महाविद्यालयों के नाम मय सीटों के काउंसलिंग हेतु समन्वयक को भिजवाये गये। एसबी सिविल रिट नं. 23103 / 2018 दिनांक 09.10.2018 के अन्तर्गत जारी आदेशों के क्रम में सत्र 2018-19 की सम्बद्धता पत्रावली आपके महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवायी गयी, जिनकी जांच करने पर सामने आया कि अधिकांश पत्रावलियों के साथ निरीक्षण शुल्क नहीं जमा करवाया गया। सक्षम स्तर के निर्देश एवं अनुमोदन के क्रम में जिन महाविद्यालयों ने निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करवाया है, वे दिनांक 04.03.2019 तक निरीक्षण शुल्क रु. 10000/- विश्वविद्यालय में जमा करवाये, जिससे महाविद्यालयों का नियमानुसार निरीक्षण कर उनकी सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

नोट: Clause 4.10 of UGC (Affiliation of colleges by Universities) Regulations, 2009 and Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Affiliation of colleges by Universities) Regulations, 2018 states:

“Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the college itself shall be granted by the University on a year to year basis through inspection process prescribed in these Regulations.”

कुलसचिव

क्रमांक: २३७०

दिनांक: 25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ—

1. कुलपति सचिवालय।
2. रक्षित पत्रावली।